रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 1971/श्रावण 18, 1893

No. 413] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 1971/SRAVANA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1971

S.O. 2990.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Grain, Rice and Oilseeds Merchants' Association, Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interests so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of two years from the 10th August, 1971, to the 9th August, 1973, both days inclusive, in respect of forward contracts in groundnut kernels.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(6)-IT/71.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1971

का० आ० 2990.—केन्द्रीय सरकार, अन्न, चावल और तिलहन व्यापारी संगम, बम्बई द्वारा मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिये अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दिए गए, आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करने विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होना, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त संगम को, मूंगफली के दाने की अग्रिम संविदाओं की बाबत, 10 अगस्त, 1971 से 9 अगस्त, 1973 तक जिसमें दोनों दिन सिम्मिलित हैं, दो वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त संगम वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा ।

[सं० 12(6)—आई० टी०/71]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971